अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्राथमिक आपत्ति दिनांक 9.1.2019 एवं प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने अपील दिनांक 20.6.2019 हेतु पेश हुई । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 13 लगायत 15 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित वर्किग खसरा नंबर 856 व 857 के वर्तमान खसरा नंबर 1070, 1142, 1144 कुल रकबा 0.50 है0 भूमियों को रेस्पो0 संख्या 15 द्वारा पृथक–पृथक विक्रय पत्रों के माध्यम से सन् 2007 में ही अकिल कुमार अग्रवाल, मधु गोयल, हर्ष गोयल, विष्णु देवी गोयल, सुशीलादेवी गोयल, रामशरण अग्रवाल इत्यादि को विक्रय की जाकर भौतिक आधिपत्य प्रदान कर दिया गया था जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 299 दिनांक 28.11.2007 स्वीकृत होकर आवासीय परिवर्तन की जाकर आवासीय नक्शा दिनांक 28.3.2010 को स्वीकृत हो चुका है, जो भूमि भूखण्डों में विभाजित होकर पक्के मकान निर्मित हो चुके है तथा क्रेतागण मय परिवार के निवासी करते चले आ रहे है, तो तथ्य स्वंय वादीगगण/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 की पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से जानकारी होने के उपरांत भी न तो क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किया गया है तथा न ही उक्त मूल वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही आवासीय परिविर्तित हो जाने से मूल वाद एवं वर्तमान अपील की सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकार वर्किग खसरा नंबर 749 रकबा 01–19–10 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1137, 1143, 1148/1683 कुल रकबा 0.31 है0 कायम किये गये है, को वादी/अपीलांट के पिता घीसा पुत्र बख्ता द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.9.1980 से विक्रय कर दिये जाने के कारा धारा 6 (5) उत्तराधिकार अधि0 1956 के तहत विधि द्वज्ञरा वर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट मय खर्चे निरस्त की जावे। इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना वास्ते निरस्त फरमाने अपील रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 12 ने पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात चौसाला खसरा नंबर 812, 679, 743, 744, 745, 811, 693, 692, 747, 746, 695, 688, 807, 689, 694, 696, 748 स्थित ग्राम कोटड़ा में 1/3 हिस्सा जमाबंदी सन् फसली 1349 के अनुसार अपीलांटस के पूर्वज घीसा पुत्र बख्मा का 1/3 हिस्सा निहित है तत्पश्चात् उक्त खसरा नंबरान के वर्तमान खसरा नंबरान अंकित किए गए है तथा 1/3 हिस्सा घीसा द्वारा रहन, बेचान, मुंतकिल नहीं करने के बावजूद रेस्पो0 के नाम दर्ज कर देने के कारण दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जो अधी0न्याया0 द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 त्रुटिपूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया । उक्त तथ्य कतई अवैधानिक एवं मिथ्या अंकित किये है जिससे अपील निरस्तनीय है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 से 12 ने प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित रूप से पारित किया गया है क्योंकि वर्तमान अपीलांटस को वाद प्रस्तुति का कोई लोकस नही है।	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में भी आता है । विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वज घीसा पुत्र बख्ता जिनका अपीलांटस द्वारा विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा होना अंकित किया गया है जबकि घीसा द्वारा चौसाला खसरा नंबर 748 एवं 684 के अतिरिक्त शेष समस्त वादग्रस्त आराजियात बाबत् दिनांक 23.6.1971 को दस्तबरारदारी/हक त्यागनामा धन्ना पुत्र काना एवं मांदू पुत्र लाखा दोनों जाति रावत, निवासी कोटड़ा के हक में रूबरू गवाहान रामलाल पुत्र कामड़ तथा गोपी पुत्र सवाई दोनों जाति रावत, निवासी कोटड़ा, तह0 व जिला अजमेर के समक्ष दिनांक 31.8.1971 को उप पंजीयक, अजमेर के समक्ष पंजीकरण कर निष्पादित करवा दिया था जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजियात धन्ना पुत्र काना एवं मांदू पुत्र लाखा अर्थात् रेस्पो0 के पूर्वज तत्पश्चात् रेस्पो0 के नाम दर्ज की गई एवं उक्त हक त्यागनामे के अनुसार भी घीसा स्वंय द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पर वह कभी भी काबिज नहीं हुआ न ही कभी राजस्व दिया गया न ही दस्तावेज में उसका नाम अंकित किया गया । मात्र धन्ना एवं मांदू द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई थी लेकिन महज बडप्पन से उन्होंने घीसा का नाम ही अंकित करवा दिया । उक्त पंजीकृत दस्तावेज के विपरीत जाकर वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद पत्र एवं अपील प्रस्तुत की ई है जिससे अपील प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर निरस्तनीय है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि आराजियात चौसाला खसरा संख्या 748 रकबा 1–19–10 किस्म चाही–3 घीसा पुत्र बख्ता एवं भूरासिंह पुत्र घीसा जाति रावत द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.8.1980 को रामसिंह व श्रवणसिंह पुत्रान मेंदू तथा रतना व लाडू पुत्रान धन्ना जाति रावत को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया एवं रूबरू गवाहान दिनांक 23.9.1980 को उप पंजीयक, अजमेर के के समक्ष पंजीबद्ध कर निष्पादित कर दिया था जिसके आधार पर क्रेतागण के नाम उक्त आराजियात अधिकार अभिलेख में दर्ज कर दी गई एवं क्रेतागण आज दिनांक लगातार काबिज चले आ रहे है इस प्रकार विक्रयशुदा आराजियात बाबत् भी वादीगण/अपीलांटस द्वारा उद्घोषणा खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया शून्य वाद होकर न्यायोचित रूप से निरस्त किये जाने योग्य था इसी कारण अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । पंजीकृत विक्रय पत्र एवं पंजीकृत हक त्यागनामे के आधार पर हस्तातंरित आराजियात बाबत् पंजीकृत विक्रय पत्र एवं हक त्यागनामे को निरस्त कराये बिना अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आता है एवं पंजीकृत विक्रय पत्रों के विरूद्ध राजस्व न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद हेतु कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता है जिससे वाद कारण के अभाव में एवं वादीगण को उपरोक्त स्थिति के विपरीत वाद प्रस्तुती का कोई लोकस नही होने से वाद निरस्त किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे ।	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	विद्वान वकील अपीलांट ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 13 से 15 द्वारा वर्णित विक्रय पत्र सन् 2007 एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.9.1980 वादी के पिता द्वारा निष्पादित नहीं किये गये, फर्जी व कूटरचित है । एवं यह भी कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में नहीं आते है तथा तनकियात कायम किये जाने उपरांत पक्षकारान की साक्ष्य उपरांत ही यह तय किया जा सकता है । रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 12 द्वारा भी गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में वर्णित कोई अभिकथन नही रहे है तथा अपील न्यायालय में नवीन कथन प्रार्थना पत्र के माध्यम से उठाये गये है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए यह भी कथन किया कि हक त्यागपत्र राज0काश्त0अधि0 के तहत नहीं किया जा सकता है । हक त्याग पत्र राज0काश्त0अधि0 के प्रतिकूल होने से शून्य है । दिनांक 23.9.1980 का विक्रय पत्र वादी के पिता द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है बल्कि फर्जी एवं कूटरचित है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी कथनों के संदर्भ में वाद में तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य के उपरांत ही निर्णित किये जाने चाहिये थे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2018 (2) रेवेन्यू पेज 1201 एवं आर0एल0डब्ल्यू0 2018 (2) रेवेन्यू पेज 1293, आर0बी0जे0 2008 पेज 447, डी0एन0जे0 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 112, आर0बी0जे0 2011 पेज 225 एवं 2019 (1) डब्ल्यू0एल0सी0 यू0सी0 पेज 165 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । रेस्पो0 संख्या 5 से 12 द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वाद में वर्णित चौसाला खसरा नंबरों में से खसरा नंबर 748 व 684 के अतिरिक्त शेष सभी भूमियां वादी के पिता घीसा द्वारा दिनांक 23.6.1971 को दस्तबरदारी/हक त्यागनामा धन्ना पुत्र काना व मांदू पुत्र लाखा रावत के पक्ष में रूबरू गवाहान रामलाल पुत्र कामड़ व गोपी पुत्र सवाई के समक्ष निष्पादित कर दिनांक 31.8.1971 को पंजीबद्ध करवा दिया गया । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 748 व 684 को छोड़कर शेष समस्त भूमियों में अपने हकों का त्याग पंजीबद्ध हक त्यागपत्र द्वारा धन्ना पुत्र काना व मांदू पुत्र लाखा के पक्ष में कर दिया गया। उक्त कथन का समर्थन आपत्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न पंजीबद्ध हक त्यागपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है । वादी अथवा उसके पिता घीसा पुत्र बख्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि दो खसरा नंबरान को छोड़कर निष्पादित एवं पंजीबद्ध दिनांक 31.8.1971 को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देकर निरस्त करवाया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । वादी के पिता घीसा पुत्र बख्ता द्वारा पंजीबद्ध हकत्याग पत्र दिनांक 31.8. 1971 निष्पादित एवं पंजीबद्ध कराने के उपरांत घीसा पुत्र बख्ता अथवा अपीलांटस का विवादित आराजियात में कोई हक व दखल पंजीबद्ध हक त्यागपत्र में वर्णित भूमियों में नहीं रहता है एवं न ही कोई वादकारण ही	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
6.2.2019	अपीलांटस को उत्पन्न हो सकता है । इसी प्रकार खसरा नंबर 748 रकबा 1–19–10 वादी के पिता घीसा पुत्र बख्ता एवं भूरासिंह पुत्र घीसा के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 6.8.1980 को रामसिंह व श्रवणसिंह पुत्रान मेंदू, रतना व लाडू पि0 धन्ना रावत को बेचान कर दिया गया । तत्पश्चात् वादी के पिता घीसा पुत्र बख्ता अथवा वादी को उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता है एवं न ही कोई वादकारण ही उत्पन्न होता है । वादी का वाद स्पष्टतया आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आकर वाद कारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 13 से 15 की आपत्ति की वर्किंग खसरा नंबर 856 व 857 के वर्तमान खसरा नंबर 1070, 1042, 1044 कुल रकबा 0.50 है0 रेस्पो0 संख्या 15 द्वारा पृथक–पृथक विक्रय पत्रों से सन् 2007 में अकिल कुमार अग्रवाल, मधू गोयल, हर्ष गोयल, विष्णुदेवी गोयल, सुशिला देवी गोयल, रामशरण अग्रवाल को विक्रय कर दिये गये जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 299 दिनांक 258.11.2007 स्वीकृत होकर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जाकर आवासीय नक्शा दिनांक 28.3.2010 को स्वीकृत किया जा चुका है । इस कारण आवासीय भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद पोषणीय नही है । इसी प्रकार खसरा नंबर 749 रकबा 1–19–10 वर्तमान खसरा नंबर 1137, 1143, 1148/1683 कुल रकबा 0.31 है0 वादी के पिता घीसा पुत्र बख्ता द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 23.9.1980 को विक्रय कर दिया गया । इस कारण उक्त भूमि में न तो घीसा पुत्र बख्ता का हक व अधिकार रहा है और न ही वादी को कोई हक व अधिकार है । उपरोक्त विक्रय पत्र घीसा पुत्र बख्ता अथवा वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया हो ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । विक्रय करने के उपरांत वादी को विक्रयशुदा भूमि पर कोई हक, अधिकार नहीं रहते है और न ही कोई वादकारण ही उत्पन्न हो सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से वादी का वाद खारिज किया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है । उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2019 बाबत् निरस्त फरमाने अपील एवं रेस्पो0 संख्या 13 लगायत 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प्राथमिक आपत्ति दिनांक 9.1.2019 स्वीकार योग्य तथा अपील निरस्त योग्य पायी जाती है । अतः रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 12 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति अपील पोषणीयता दिनांक 20.6.2019 एवं रेस्पो0 संख्या 13 लगायत 15 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.1.2019 स्वीकार किये जाते है तथा इसके फलस्वरूप अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर निरस्त की जाती है तथा अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.9.2018 यथावत् रखा जाता है । निर्णय आज दिनांक 6.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	